

जगीर सिंह बनाम प्रथिमा कौर

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या : 2023/96

13.07.2023

रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश हुआ। अधिवक्ता के माध्यम से अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर उमय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अर्थात् कानून के माध्यम से बताया कि उक्त उनवान की अपील दिनांक 19/01/22 को अदम गैरखी अदम पैरखी में खारिज करमा दी गयी थी। अपीलार्ड एक मुद्दा परिसर है और अधिवक्ता नहीं होने से अपीलार्ड का स्वास्थ्य दिनांक 18/01/2022 से ही ठीक नहीं था। और वह दो तीन दिन से घर से बाहर निकलने की स्थिति में भी नहीं था और स्वास्थ्य ठीक नहीं होने से ही दिनांक 19/01/2022 को न्यायालय में दर्ज नहीं हो सका। और अधिवक्ता अपीलार्ड की अपने पक्ष में देखने से उमय पक्ष के अधिवक्ता संस्कार में चले जाने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। और प्रकरण खारिज करमा दिया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्ड ने प्रार्थना पत्र स्वीकार का अर्थ को पुनः नम्बर पर लेने का निवेदन किया।

अभिभाषक रेसोन्डेन्ट संख्या 01 ने रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के कानून को अपर्याप्त बताते हुए, प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेसो 02 से 04 ने कथन किया कि इसका प्रकरण में दर्ज एक अधिवक्ता के गंभीर प्रश्न सम्मिलित है, अतः अपीलार्ड द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र वाले पुनः नम्बर पर लेने (रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र) का अवलोकन किया एवं उमय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मजबूत किया। प्रार्थी की अपील न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 19/01/2023 को अदम हाजरी एवं अदम पैरखी में खारिज की गयी थी, जिसको रेस्टोर के लिए प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रार्थी की ओर से दिनांक 24/01/2023 को पेश किया गया है, जो अंदर मियाद है। प्रार्थी द्वारा बिना विलंब किए प्रार्थना पत्र वाले अपील पुनः नम्बर पर लेने का प्रस्तुत किया है, अतः प्रार्थी का कथन संतुष्टी प्रदान होता है। इस न्यायहित में 200/- रुपये की कोर्ट पर अपीलार्ड द्वारा प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाले पुनः नम्बर पर लेने (रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र) 200/- रुपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाकर मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13/07/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनीज कुमार)

राजस्थान अपील प्राधिकारी, कोटा